मुद्रक :
स्वदेश प्रेस
गौतमबुद्ध मार्ग
लखनऊ

प्रधान मन्त्री पं० दीनदयाल उपाध्याय

द्वारा

प्रस्तुत प्रतिवेदन

वार्षिक अधिवेशन

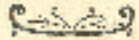

अम्बाला छावनी

चैत्र १४, १५, १६, शकाब्द १८८०

मुद्रक :
स्वदेश प्रेस
गौतमबुद्ध मार्ग
लखनऊ

॥ श्री ॥

गत अधिवेशन के समय जब हम दिल्ली में एकत्र हुए थे, द्वितीय आम चुनावों की तैयारी और व्यवस्था ही हमारे सम्मुख प्रमुख विचारणीय विषय था। हमने वहां अपना चुनाव घोषणापत्र स्वीकृत किया एवं आगामी चुनावों में जनसंघ की नीति निर्धारित की। आम चुनावों की समाप्ति के एक वर्ष बाद हम उनके परिणामों का विचार, प्रथम प्रतिक्रिया से मुक्त, गम्भीर विश्लेषण के साथ कर सकते हैं।

लोगों ने इन चुनावों में बड़े उत्साह से भाग लिया और देश में मत और मतदान में वृद्धि हुई। जनता ने चुनावों में जो रुचि दिखाई और जिस प्रकार शान्ति और व्यवस्था से सम्पन्न हुये उससे हमारी मूलतः जनतांत्रिक प्रकृति का परिचय मिलता है। जनतंत्र का भारत में भविष्य उज्ज्वल है यदि वे शक्तियां जिनकी जनतंत्र में आस्था है भारतीय जनता की भावनाओं के प्रकटीकरण की समुचित व्यवस्था कर सकें और उन्हें अप्रजातांत्रिक तत्वों का शिकार न बनने दें।

चुनावों के परिणाम-स्वरूप यद्यपि केन्द्र में और, केरल को छोड़ कर, सभी राज्यों में कांग्रेस-शासन की स्थापना हुई है तथापि देश में चुनावों ने कांग्रेस के प्रति व्यापक असन्तोष दिखाई दिया है। जहां भी विरोधी दल सम्मिलित मोर्चा बना सके अथवा उनमें से एक भी अपनी विजय का विश्वास जमा सका वहां निर्वाचकों ने निर्भीकतापूर्वक उनका साथ दिया। परिणामतः कई क्षेत्रों में कांग्रेस के अत्यन्त प्रभावी प्रत्याशियों को भी मात खानी पड़ी।

राज्य-पुनर्गठन से उत्पन्न असन्तोष का निर्वाचनों पर भारी परिणाम हुआ। इस सम्बन्ध में जनभावना इतनी तीव्र और व्यापक रही कि विभिन्न विरोधी दलों को कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए आपसी समझौता आवश्यक और हितकर प्रतीत हुआ।

इस चुनाव में साम्प्रदायिक तत्वों ने अपनी पुरानी नीति का ही परिचय दिया। कांग्रेस और प्रजासमाजवादी दलों ने उनके साथ सौदेबाजी की और उनका संतुष्टीकरण करके उन्हें प्रोत्साहन दिया। कांग्रेस ने घोषणा की कि अल्पमतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट दिये जायें। पंजाब में तो अकाली दल के साथ साम्प्रदायिक आधार पर एकीकरण स्वीकार कर लिया गया। प्रजासमाजवादी दल ने दो कदम और भी आगे बढ़ कर मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। पिछले ५० वर्षों में साम्प्रदायिक राजनीति के विकास और परिणाम की पृष्ठभूमि में यह भविष्य की राजनीति के लिए गंभीर चेतावनी है।

विभिन्न राजनैतिक दलों और विशेषकर कांग्रेस के अन्तर्गत गुटों ने भी जातिवाद को काफी भड़काया। जहां किसी भी दल का संगठन अच्छा है वहां तो इसका कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ किन्तु साधारणतः अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव अवश्य पड़ा।

चुनावों के परिणामस्वरूप लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा। किन्तु भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के प्राप्त मतों का प्रतिशत पिछले चुनावों से दुगना हो गया है क्योंकि अन्य विरोधी दल पहले की अपेक्षा कम प्रतिशत मत प्राप्त कर सके हैं।

अनेक प्रदेशों में विधान सभाओं में कांग्रेस की शक्ति घटी है। केरल और उड़ीसा में तो वह बहुमत भी नहीं प्राप्त कर सकी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी यद्यपि बहुमत में तो नहीं है किन्तु विधान सभा में सबसे बड़ा दल है। कतिपय स्वतन्त्र सदस्यों के साथ मिलकर उसने मंत्रिमंडल भी बनाया है। कांग्रेस और प्रजा समाजवादी दल की साम्प्रदायिक नीतियां, उनकी अस्थिरता एवं सुस्थिर मंत्रिमंडल बना सकने की पूर्वप्रकट अक्षमता तथा राज्य-पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पुराने त्रिकोचीन राज्य से तमिल भाषी क्षेत्र का पृथक्कीकरण और कम्युनिस्ट प्रभावित मलाबार का ऐक्यीकरण ये ऐसे कारण हैं जिनसे कम्युनिस्टों को वहां इतनी भारी विजय मिल सकी।

भारतीय जनसंघ ने १२५ लोकसभा के और लगभग ६५० विधान सभाओं के स्थानों पर चुनाव लड़े। इनमें से लोकसभा के चार तथा विधान सभाओं के ५१ सदस्य विजयी हुये। लोकसभा के लिए कुल ७२ लाख से ऊपर अर्थात् ६% के लगभग मत प्राप्त हुये।

दिल्ली अधिवेशन में आम चुनावों के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की थी उसके अनुसार यद्यपि यह तय किया था कि केवल उन्हीं स्थानों में प्रत्याशी खड़े किये जायँ जहाँ जनसंघ का एक निश्चित परिमाण में कार्य हो किन्तु इसका सभी जगह पालन नहीं हुआ। केन्द्रीय निर्वाचन अधिकरण ने प्रत्याशी प्रत्र प्रादेशिक निर्वाचन अधिकरणों के अभिमतों के साथ मांगे थे। अनेक स्थानों पर प्रत्याशियों का निर्णय कांग्रेस निर्णय पर अवलम्बित रहने के कारण केन्द्र को वे प्रत्र निर्देशानुसार नहीं मिले। फलतः प्रत्याशी निर्धारण और निर्णय का कार्य प्रादेशिक स्तर पर ही हुआ। संगठन की अवस्था और अनुशासन के अतिरिक्त इसका परिणाम, प्रत्याशियों के देर से निर्धारण होने के कारण, निर्वाचन पर भी पड़ा।

चुनाव के कुछ ही दिन पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों का नये सिरे से परिसीमन किया गया जिसमें ऐसे अनेक क्षेत्र जिनमें हम पिछले कई वर्षों से योजनाबद्ध कार्य कर रहे थे बदल दिये गये। इसका प्रभाव प्रत्याशियों की संख्या और उनके चुनाव परिणाम दोनों पर हुआ।

निर्धारित नीति के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी राष्ट्रीय दल या गुट के साथ चुनाव गठबन्धन न कर प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर चुनाव सामंजस्य स्थापित किये गये। महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र समिति, बंगाल में जनतांत्रिक मोर्चा एवं पंजाब में महापंजाब समिति के आधार पर यह सामंजस्य हुआ। राजस्थान और गुजरात में रामराज्य परिषद् और हिन्दू महासभा के साथ भी सामंजस्य का प्रयत्न किया गया जिसमें आंशिक सफलता प्राप्त हुई। इन प्रयत्नों का यह परिणाम भी हुआ कि हमें बहुत से स्थानों से अपने प्रत्याशियों के नाम वापिस लेने पड़े और हमारी निर्धारित संख्या में कुछ कमी आ गयी। मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सका। और यह कहा जा सकता है कि कई क्षेत्रों में इसका विपरीत परिणाम हुआ।

भारतीय जनसंघ ने अपने चुनाव आन्दोलन में भारत की सुरक्षा एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अनुपयुक्तता के ऊपर विशेष जोर दिया। आज जो देश की परिस्थिति निर्माण हुई है उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने चुनावों में जनता के सामने जो दृष्टिकोण रखा था, वह सही था। कांग्रेस ने अपने चुनाव कार्यक्रम में चल रहे काश्मीर विवाद को ही अपने आन्दोलन का केन्द्र बनाया। काश्मीर का प्रश्न, जो, जहाँ तक उसका पाकिस्तान से सम्बंध है, राष्ट्रीय महत्व का है, उसे इस प्रकार चुनाव के अखाड़े में लाना उचित नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता तो इस बात की थी कि कांग्रेस द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसके अन्तर्गत करारोपण आदि विषयों पर जनता का अभिमत जानने का प्रयत्न करती।

चुनावों में स्थानों की दृष्टि से जनसंघ को अपेक्षा से कम स्थान प्राप्त हुये हैं। लोकसभा में जहां उसे ६ प्रतिशत मत मिले हैं वहाँ स्थान केवल .८ प्रतिशत ही प्राप्त हुये हैं। इसी प्रकार विधान सभाओं में ३.६% मत एवं १.३% स्थान मिले हैं। जनता में से किसी भी निश्चित गुट के ठोस समर्थन का अभाव इस विषमता का कारण है। लोकसभा में हम निश्चित ही अधिक स्थान जीत सकते थे किन्तु उस ओर हमारे कार्यकर्ताओं ने अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया। इन चुनावों में जनसंघ ने लोकसभा के लिए २५ एवं विधान सभाओं के लिये लगभग १५० सुरक्षित स्थान लड़े। तथा क्रमशः एक और ६ स्थान पर विजय भी प्राप्त की। यह इस बात का द्योतक है कि पिछली बार की तुलना में हम वनवासी एवं हरिजन क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। किन्तु हमें और भी आगे बढ़ना होगा।

चुनावों में कांग्रेस ने शासनयन्त्र एवं अपने शासनस्थ प्रभाव का भी व्यापक उपयोग किया। जम्मू और काश्मीर राज्य में तो अनियमिततायें एवं धांधलेबाजी बहुत बड़े पैमाने पर हुई। भारत के चुनाव आयोग के तत्वावधान में वहां के चुनाव हों, हमारी इस मांग का औचित्य नेशनल कान्फ्रेंस में से निकले हुए सदस्यों ने भी स्वीकार किया है। भारत का पूर्ण संविधान लागू करके उस राज्य को अन्य राज्यों के समकक्ष लाये बिना वहां सामान्य स्थिति नहीं आ सकती। हमारी इस मांग का भी औचित्य वे थोड़े दिनों में अनुभव करेंगे ऐसा विश्वास है। हमारे विरुद्ध २५ चुनाव याचिकायें

है। हमारी ओर से भी ६ चुनाव याचिकायें प्रस्तुत की गई हैं। अभी तक जो निर्णय हुए हैं उनमें हमारे विरुद्ध कोई याचिका स्वीकृत नहीं हुई है।

भारतीय जनसंघ और साम्यवादी दल दोनों ने ही पिछले आम चुनाव की अपेक्षा इन चुनावों में आनुपातिक दृष्टि से समान प्रगति की है किन्तु केरल में साम्यवादी सरकार बनने तथा जनसंघ की सफलता कुछ ही प्रान्तों तक सीमित रहने के कारण लोगों की यह धारणा हो गयी है कि कांग्रेस का स्थान साम्यवादी दल ही ले सकता है। केरल में गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण जहाँ एक ओर कांग्रेस की अजेयता की भ्रमनूलक धारणा को समाप्त कर विरोधी दलों को बल प्रदान करता है वहाँ उन्हें यह भी बताता है कि यदि वे सक्रिय नहीं हुये तो जनतन्त्रविरोधी शक्तियाँ जनभावना का अनुचित लाभ उठाकर अपना पग आगे बढ़ा सकती हैं।

आम चुनावों के बाद विधान परिषदों एवं राज्यसभा के चुनावों में भी जनसंघ ने भाग लिया और ३ विधान परिषदों एवं एक राज्यसभा का स्थान जीतने में सफल हुआ। राजस्थान विधानसभा के तीन एवं राज्यपरिषद् के सदस्यों ने भी जनसंघ की सदस्यता स्वीकार कर ली है। इस प्रकार अब हमारी सदस्य संख्या विभिन्न विधान मंडलों में निम्नलिखित है।

लोकसभा ४, राज्यसभा १, विधानसभायें ५४, विधान परिषद् ५

स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में जनसंघ की प्रगति महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इसी आधार पर स्थानीय निकायों के क्षेत्र से जनसंघ के प्रत्याशी विधान परिषदों में सफल हो सके हैं। हाल ही दिल्ली नगर-निगम के चुनावों ने सिद्ध कर दिया है कि राजधानी ने कांग्रेस का पक्ष लेना छोड़ दिया है तथा जनसंघ ही एक ऐसा व्यापक रूप से संगठित दल है जो उसका स्थान ले सकता है। जनसंघ को इस चुनाव में २५ तथा कांग्रेस को ३१ स्थान प्राप्त हो सके। जनसंघ ने केवल ५४ स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये थे जबकि कांग्रेस ने पूरे ८० स्थानों पर चुनाव लड़ा था।

उत्तर प्रदेश के चुनावों में यद्यपि स्थानीय सदस्यों की संख्या में जनसंघ ने प्रगति की, किन्तु निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन होने से अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से न होने के कारण हम उतनी संख्या में नगरपालिकाओं पर अधिकार नहीं कर पाए, जितना पिछली बार किया था।

मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों में हमने २६८ स्थानों में से ७४ पर प्रत्याशी खड़े किये तथा केवल २० जीत पाए। प्रदेश में कार्य की स्थिति को देखते हुए यह सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। बिहार में चालू वर्ष में तीन नगरपालिकाओं में चुनाव हुए, जिनमें हमने १७ स्थान लड़े तथा १० पर विजय प्राप्त की। बंगाल में विभिन्न नगर निकायों में हमने २२ स्थान लड़े तथा ७ पर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार कर्नाटक में ५ स्थानों पर हमें सफलता मिली। गुजरात में २० स्थानों में से ६ पर सफलता मिली।

आम चुनावों के बाद महाराष्ट्र में २६ नगरों में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव हुए, जिनमें जनसंघ ने १०४ स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये तथा ८२ पर सफलता पाई। इनमें ६ महिलाएँ भी सम्मिलित हैं। आज वहाँ ५ स्थानों में हमारे सदस्य नगरपालिकाओं के अध्यक्ष हैं।

भारतीय जनसंघ राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र में आस्था लेकर चला है। निर्वाचनों में उसको मिले समर्थन ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि जनमत का ध्रुवीकरण हो रहा है। हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ावें तथा उन सभी शक्तियों का संगठन करें जो अराष्ट्रीय, भारत-विरोधी एवं अप्रजातंत्रीय तत्वों के विरोध में खड़ी हैं। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार विरोधी दल के नाते हम अपने आपको कम्युनिस्ट, प्रजासमाजवादी तथा समाजवादी दल की पंक्ति में खड़ा पाते हैं। किन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से हमारा मतभेद इन दलों से भी उतना ही है जितना कि कांग्रेस से। इन दलों में मात्राभेद हो सकता है, गुण भेद नहीं है।

अपने सिद्धान्तों और नीतियों के स्पष्ट विवेचन एवं जनता के असंदिग्ध मार्ग दर्शन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि भारतीय जनसंघ स्वतंत्र रूप से विधान मंडलों में कार्य करे तथा जनता को दिये गये वादों को पूरा करने, उसकी कठिनाइयों को दूर करने तथा उसकी भावनाओं को सही रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करे। भारतीय कार्यसमिति ने जौनपुर की बैठक में इस आशय का निर्देशात्मक प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

चुनावों से कांग्रेस शासन ने कुछ भी नहीं सीखा। जनमत का आदर करते हुए अपनी नीति में परिवर्तन करने के स्थान पर उसका वही पुराना रवैया बना हुआ है। फलतः विभिन्न प्रदेशों में पुनः जन आन्दोलन जोर पकड़ते जा रहे हैं। शासन उनको दबाने के लिए अधिकाधिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जिससे वह पहले से अधिक अलोकप्रिय हुआ है। चुनाव के उपरान्त कांग्रेस शासन की नीतियों का खोखलापन प्रकट होने लगा है। यथार्थ का कुछ ऐसा धक्का लगा है कि बड़े-बड़ों के सिर से कांग्रेस सरकार की बहुप्रचारित विदेश नीति, पंचवर्षीय योजना आदि का जादू उतरता जाता है। जिन बातों को हमने बहुत पहिले कहा और जो प्रस्ताव हमने कई वर्ष पूर्व समय-समय पर पारित किये, आज अनेक लोग ऐसे मिलते हैं जो वे ही बातें कह रहे हैं। यदि हमने प्रयत्न किया तो अपनी नीतियों की सत्यता हम आज के वातावरण में अधिकाधिक बता सकेंगे। इस प्रकार दृष्टिकोण में साम्य होने पर हम उनको अपने साथ लाकर अपने संगठन में भी वृद्धि करेंगे।

पिछले वर्ष में विभिन्न प्रदेशों में जो आन्दोलन हुए उनमें पंजाब का सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जेल जानेवालों की संख्या, आन्दोलन से प्रभावित लोक समुदाय, जेलों में अत्याचार, निवारक निरोधक नियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियाँ,

जुलूस, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, गोलीबार, एवं बलिदान इन सभी दृष्टियों से तो यह आन्दोलन कांग्रेस शासन के स्वरूप को नग्न वास्तविकता के साथ प्रकट करता ही है, किन्तु उसका विशेष महत्व तो उसका राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य है। आन्दोलन का प्रकट रूप चाहे जो हो उसके मूल में पंजाब एवं भारत की जनता की वे आशंकायें हैं जिनके अनुसार कांग्रेस द्वारा अकाली साम्प्रदायिकता की तुष्टि के प्रयास में उनके सम्मुख भारत विभाजन की विभीषिका पुनः खड़ी हो जाती है। कांग्रेस का नेतृत्व, अंग्रेजी ज़माने की राजनीति में पला होने के कारण, साम्प्रदायिक आधार पर ही सोचने का आदी है। वह इस आधार को छोड़ कर सहयोग और विरोध दोनों की ही कल्पना नहीं कर सकता। इस गलत आधार के ही कारण पूर्णतः राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीयता की रक्षा करनेवाले आन्दोलन को भी साम्प्रदायिक कहा गया। हम इतना ही कह सकते हैं कि "सावन के अन्धे को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है।"

जनसंघ को इस आन्दोलन में भारी बलिदान देना पड़ा। पिछले वर्ष जनसंघ का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जो या तो जेल में न बैठा हो या बाहर रह कर आन्दोलन का संचालन न कर रहा हो। किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि यह आंदोलन जनसंघ के झण्डे के नीचे न होकर भाषा-स्वातन्त्र्य समिति के तत्वावधान में किया गया था।

कांग्रेस का आन्तरिक संगठन भी पहले से अधिक खोखला हो गया है। गुटबन्दी इतनी बढ़ गई है कि एक गुट दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जन-द्रोह उत्पन्न करने और आंदोलन तक करने को तैयार है। कांग्रेस से निकले हुए या स्वतन्त्र सदस्यों के ऐसे गुट प्रायः प्रत्येक विधान सभा में काम कर रहे हैं जो बाहर रहकर शासनारूढ़ गुट का विरोध करते हैं तथा दूसरे गुट के नेता के पदारूढ़ होने की सम्भावना दिखते ही कांग्रेस में आने को तैयार बैठे हैं। उनकी सिद्धान्तहीन तथा गुटबन्दी की राजनीति देश में स्वस्थ राजनीति के विकास में बड़ी बाधा है। दूसरी ओर प्रजासमाजवादी और समाजवादी दल हैं, जिनके आपस के सम्बन्ध रोज बनते और बिगड़ते रहते हैं। प्रजासमाजवादी दल के सदस्यों की संख्या कितनी भी क्यों न हो, अनुशासन नीतियों में एकता आदि की दृष्टि से उसे दल नहीं कहा जा सकता। देश की ज्यों-ज्यों राजनीति में सुस्पष्टता एवं सिद्धान्तवादिता आती जायगी इस दल का प्रभाव कम होगा। प्रजासमाजवादी दल ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रश्रय ही नहीं दिया उसे उभाड़ने की नीति भी अपनाई है। डा० लोहिया समाजवाद को सिद्धान्तों के आधार पर ढालने की कोशिश कर रहे हैं, किन्तु उनके सिद्धान्तों को समझना बड़ा कठिन है। आजकल वे "सत्याग्रह" शास्त्र के विकास में लगे हुए हैं। उनकी नीति सत्याग्रह के लिये सत्याग्रह की दिखती है। उनके सत्याग्रह का जनता पर क्या परिणाम होगा इस सम्बन्ध में अभी कोई भी मत बनाना ठीक नहीं होगा। हाँ, यह सत्य है कि बिहार में, जहां कि उन्होंने चुनाव के पूर्व ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था तथा बाहर से सत्याग्रही लाये, उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश और तामिलनाड में भी असफलता ही उनके हाथ पड़ी।

चुनाव के परिणामों का साम्यवादी दल ने बाहर भले कितना भी ढोल क्यों न पीटा हो, उनके अन्दर कार्यकर्ताओं में असन्तोष है। वे आन्ध्र, मद्रास और पंजाब में पीछे हटे हैं, बंगाल में वे मंत्रिमंडल बनाने का स्वप्न देख रहे थे, जो पूरा नहीं हुआ। केरल में भी वे बहुमत नहीं प्राप्त कर सके जिसके कारण उन्हें ५ स्वतंत्र सदस्यों का कृपाकांक्षी बनकर काम चलाना पड़ रहा है। मेरे इस विश्लेषण का यह अर्थ नहीं कि हम साम्यवादी दल की आज की शक्ति एवं आगे की सम्भावनाओं से आँखें मूंद लें। उसने चुनाव के बाद अपनी सरगर्मियां बढ़ाई हैं। शासन की दुर्नीतियों से पीड़ित जनता अनेक बार उसका शिकार भी बन जाती है। हम यदि उनका मुकाबला करना चाहते हैं तो केवल उनके सिद्धान्तों और तत्वज्ञान की आलोचना से काम नहीं चलेगा। जो तत्वज्ञान समझ सकते हैं वे कम्युनिस्ट नहीं बनते और जो कम्युनिस्ट बन जाते हैं वे तत्वज्ञान नहीं समझ पाते। साम्यवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म और संस्कृति की मर्यादायें तथा मानव-जीवन के मूल्यों की परिसमाप्ति चाहता है। लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के लिये उसके शासन में कोई स्थान नहीं, उसका मार्ग विघटन और वर्ग-संघर्ष का है, ये सब ऐसी बातें हैं जो अपढ़ और अशिक्षित जनता की बात तो दूर रहे, पढ़े लिखे किन्तु पीड़ित वर्ग की भी समझ में नहीं आतीं। कारण सर-दर्द से पीड़ित व्यक्ति उससे छुटकारा चाहता है, यदि उसे एस्प्रो जैसी कोई गोली मिली तो वह तुरन्त खा लेगा फिर उसका परिणाम हृदय और शरीर पर बुरा ही क्यों न पड़ता हो। अच्छी दवायें भी हैं किन्तु जैसा कि उर्दू के शायर ने कहा है :—

दर्दे सर के वास्ते सन्दल लगाना है मुफीद
पर सन्दल का घिसना औ लगाना दर्दे सर से कम नहीं॥

वह सहज ही इन दवाओं का प्रयोग नहीं करता। जो उसका भला चाहते हैं यदि वे सन्दल घिसकर लगा दें, तो शायद उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

भारतीय जनसंघ को यही काम करना है। हम यदि प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो प्रजा की रक्षा करें। कर-भार, मंहगाई, भ्रष्टाचार और बेकारी से वह त्रस्त है। उसके नागरिक अधिकारों का जगह-जगह पर हनन किया जा रहा है। यदि हमें अपने सिद्धान्तों से प्रेम है, तो हम उनको पुस्तकों और व्याख्यानशालाओं की परिधि से निकालकर उनके आधार पर जनता के साथ खड़े हों और उसका बल बढ़ायें।

निस्सन्देह हमारी संस्कृति के सिद्धान्त केवल कुछ धर्माभिमानी व्यक्तियों के लिये नहीं; उनकी परिधि में भारत के सभी जन आते हैं। जो अपने व्यापार की प्रगति चाहता है उसे वहां जाना होगा जहां उसकी चीज के सबसे अधिक गरजमंद और खरीददार हों। इस दृष्टि से बिलासपुर अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि सभा ने कुछ कार्यक्रम स्वीकार किये जिन्हें लेकर जनसंघ की शाखाओं ने आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आन्दोलन किये हैं।

जब हम आन्दोलन का नाम लेते हैं तो देश में जो पिछली अर्धशताब्दी में वातावरण रहा है उसके कारण जेल, सत्याग्रह, करबन्दी आदि प्रत्यक्ष कार्यवाही ही लोगों के सम्मुख आती है। किन्तु इन कार्यवाहियों की आवश्यकता किसी भी स्वतंत्र जनतंत्रीय देश में नहीं होनी चाहिये। यदि आज भी ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं, तो यह इसी बात का प्रमाण है कि अभी तक शासन पूर्णतः जनतंत्र का समादर करना नहीं सीखा। किन्तु ये सब आन्तिम हैं। जनसंघ 'सत्याग्रह' को अपना क्षेत्र नहीं मानता किन्तु आवश्यकता पड़ने पर शासन को जनमत के सम्मुख झुकाने के लिये विवश होकर उसका उपयोग अवश्य कर लेता है। हमारी इच्छा है कि जलसे, जलूस, प्रस्ताव, वक्तव्य आदि जन आन्दोलन के साधन अधिक प्रभावी बनाए जायँ तथा हम आशा करते हैं कि शासन भी उनकी अवहेलना कर अपने लिये संकट मोल लेने की नीति को त्यागेगा।

उत्तर प्रदेश में "किसानों का लगान आधा करो" आन्दोलन वैसे तो चुनावों के पहले से चल रहा है। किन्तु चुनावों के दौरान में उसे अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाने का प्रयत्न किया गया। तदुपरान्त ग्राम मेलों एवं अन्य सामूहिक एकत्रीकरण के स्थानों का लाभ उठाकर, उसे व्यापक बनाया। ग्राम-पंचायतों ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पारित किये गये हैं। विधान मंडल में भी विभिन्न विवादों के समय शासन का ध्यान इस महत्वपूर्ण मांग की ओर आकर्षित किया गया। किन्तु अभी प्रतीत होता है कि सफलता प्राप्त करने के लिये और प्रभावी पग उठाने होंगे।

बिक्रीकर, जलकर आदि के विरोध में उत्तर प्रदेश में आन्दोलन हुए तथा कई नगर पालिकाओं ने सफलता भी प्राप्त की। हरिजन बन्धुओं को यद्यपि संविधान एवं सुधारवादी जगत् की ओर से पूर्ण समानता के अधिकार प्राप्त हो गये हैं किंतु फिर भी ग्रामों में वे उनका भली भांति उपयोग नहीं कर पाते। प्रदेश में जनसंघ की शाखाओं ने उन्हें निर्भयता एवं सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार दिलाने के लिये सक्रिय कार्य है। बिजनौर जिले का कार्य इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

बिहार में पैदाकर के विरुद्ध जनसंघ ने सफल आन्दोलन किया। इस प्रकार सीतामढ़ी में असंगठित पल्लेदारों को संगठित कर उन्हें सुविधाएं दिलवाईं। अकाल एवं सूखा पीड़ित क्षेत्रों में जहां शासन से सहायता के लिये मोर्चे आदि निकाले गये वहीं स्वतः भी रचनात्मक रूप से सहायता की व्यवस्था की।

बंगाल में दामोदर परियोजना के कारण हावड़ा जिले के अनेक क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं रही तथा वहां की भूमि को भी भारी हानि हुई है। उस क्षेत्र के जनसंघ ने पीड़ित किसानों की समस्या सुलझाने की दृष्टि से विशेष कार्य किया है।

महाराष्ट्र में बम्बई से रत्नागिरी की ओर जाने वाले जहाजों के किराये में कमी करने का आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाया गया। काफी दिनों तक तो शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया किन्तु जब प्रत्यक्ष कार्यवाही की नौबत आगई तो शासन ने

गोलमेज सम्मेलन करके १५% वृद्धि रोक दी एवं आगे दूसरे सम्मेलनों के निर्णयों के अनुसार कमी का आश्वासन दिया है। कोंकण रेलवे की मांग भी वहां के जनसंघ ने जोरदार रूप में उठाई है।

बम्बई राज्य में गोहत्या बहुत व्यापक एवं अधिक होती है। उसे रोकने एवं शासन द्वारा कानून बनाने के लिये 'गोहत्या' समिति द्वारा पिछले एक वर्ष से जन-जागरण का कार्य हो रहा है। जनसंघ के बम्बई विधान सभा के सदस्य श्री ...जी द्वारा इस संबंध में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। शासन द्वारा आश्वासन दिये जाने के कारण यह विधेयक तो वापस ले लिया है किन्तु अभी जनमत के अभिव्यक्तिक संगठन का प्रयत्न चालू है।

जौनपुर में प्रान्तीय कार्यसमिति ने प्रस्ताव किया था कि सन् १८५७ के स्वातन्त्र्य समर की शताब्दी मनाने के साथ १० मई के पूर्व ही भारत शासन विदेशी शासकों की प्रस्तरमूर्तियां हटा दे। उत्तर प्रदेश शासन ने आश्वासन भी दिया था किन्तु डा० लोहिया द्वारा अपने सत्याग्रह की मांगों में इस प्रश्न को भी सम्मिलित कर लेने एवं सत्याग्रह प्रारम्भ करने के कारण कुछ दिनों तक शासन प्रतिष्ठा के चक्कर में अपने आश्वासन को भुलाता रहा। किन्तु जब उसे अनुभव हुआ कि अब हम भी इस प्रश्न पर और अधिक सक्रिय पग उठा सकते हैं तो उसने १५ अगस्त के पूर्व इन मूर्तियों को हटाने की घोषणा की एवं तदनुसार व्यवस्था भी की।

अन्य प्रदेशों में भी इस दृष्टि से जन जागरण का कार्य हुआ है, किन्तु उसे अभी तक प्रभावी नहीं कहा जा सकता।

वनवासी, गिरिजनों, एवं विविध क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की मांगें उनके अलग-अलग संगठन बनाकर पूरी कराने का प्रयत्न किया है। ये संगठन ट्रेड यूनियन एक्ट की मर्यादाओं के अन्तर्गत नहीं आते। अतः किसी मजदूर संघ से सम्बद्ध न होकर स्वतंत्र रूप से जनसंघ कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। इनमें मध्यप्रदेश का वनवासी तथा हरिजन जनसंघ, महाराष्ट्र का गिरिजन संघ तथा उत्तर प्रदेश का जलनाविक मजदूर संघ विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

डाक्टर ग्राहम के आगमन पर विरोध प्रकट करने के लिये जनसंघ की ओर से स्थान-स्थान पर प्रदर्शन आयोजित किये गये जो बहुत सफल रहे।

बिलासपुर अधिवेशन ने कश्मीद विरोध, वेतन एवं भूमि वृद्धि की मांग के साथ भ्रष्टाचार उन्मूलन समितियों की स्थापना, अल्प बचत योजना में सहयोग तथा स्वदेशी का कार्यक्रम भी स्वीकार किया गया था।

भ्रष्टाचार उन्मूलन समितियों की स्थापना में सब ओर ढिलाई रही। अल्प बचत योजना में सहयोग के प्रस्ताव का शासन की ओर से कोई स्वागत नहीं हुआ। फलतः उस ओर आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठा। शासन की यह नीति इस बात का द्योतक है

कि वह पंचवर्षीय योजना में केवल भौतिक सहयोग के अतिरिक्त किसी प्रकार का क्रियात्मक सहयोग नहीं लेना चाहती।

विधान मंडलों में जनसंघ के सदस्यों ने बराबर अपने योगदान की पृष्ठभूमि में उपस्थित विषयों की आलोचना की है। जनहित के अनेक प्रश्न को उन्होंने सदन में उठाया है। किन्तु उनके सदन में प्रकटीत विचारों का प्रकाशन एवं प्रसारण आवश्यकतानुसार नहीं हो पाया है। साथ ही संगठन की ओर से उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने एवं दोनों के बीच अधिक तालमेल बैठाने की ओर ध्यान देना चाहिये।

जनसंघ की शाखाओं ने स्थान स्थान पर रचनात्मक एवं सहायता कार्य भी हाथ में लिये हैं। जहाँ तक सहायता कार्यों का सम्बन्ध है ये अस्थायी स्वरूप के हैं। बाढ़, सूखा, महामारी आदि प्रकृति के प्रकोपों से प्रपीड़ित जन की सेवा के रूप तत्कालीन परिस्थिति में ये प्रारम्भ किये गये। इनके अतिरिक्त शिक्षा, चिकित्सा, दस्तकारिता आदि के क्षेत्रों में भी जनसंघ कार्यकर्ता सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में शिशुमन्दिर एवं भारतीय विद्यालयों की स्थापना तथा महाराष्ट्र में अनेकों प्रकार के छोटे २ शिक्षण वर्ग—प्रौढ़साक्षरता, हिन्दी-शिक्षा, सिलाई, माचिस की तीलियाँ तथा कागज के फूल बनाने की शिक्षा आदि — विशेष रूप से प्रारम्भ किये हैं। इस सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि ये कार्य अधिक फलदायी नहीं होते। इनमें लगन और धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। साथ ही उन्हें दलगत राजनीति से भी दूर रखना चाहिए।

जनसंघ के कार्यक्रमों का पत्रों में प्रकाशन पहिले से तो अधिक मिल रहा है। किन्तु अभी भी वह कार्य की मात्रा में कम है। कार्यकर्ता यदि पत्रकारों की कठिनाई समझकर उन्हें दूर कर सकें तो अवश्य ही प्रकाशन में वृद्धि की जा सकती है।

संघटनात्मक दृष्टि से इस वर्ष विशेष कार्य करने की आवश्यकता थी। आमचुनावों के बाद सदस्य भर्ती एवं समितियों के गठन का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। जो इन प्रदेशों से उपलब्ध हुआ है वह सन्तोषजनक नहीं। उसके अनुसार २४२ मण्डल समितियाँ एवं ८८६ स्थानीय समितियाँ गठित हुई हैं। सदस्यों की संख्या ७४८८२ है। इनमें पंजाब, दिल्ली, आंध्र और केरल की संख्यायें सम्मिलित नहीं हैं, कारण वहाँ से केन्द्र कार्यालय को कोई वृत्त प्राप्त नहीं हुआ। पंजाब आन्दोलन के कारण सदस्य भर्ती आदि को समय से पूरा नहीं कर पाया। अतः भारतीय कार्य समिति ने वहाँ निश्चित समय सारिणी में अपवाद करके समय की वृद्धि की थी। पिछले चुनावों में हमने ७०० से ज्यादा मण्डलों में प्रत्याशी खड़े किये थे। अभी ऐसे बहुत मण्डल बाकी हैं जहाँ हम चुनावों के बाद समितियाँ नहीं बना पाये हैं।

स्वाध्याय मण्डल एवं सदस्य सम्मेलन हमारे संघटन को मजबूत बनाने के लिये नितांत आवश्यक है। बारंबार इस ओर ध्यान दिलाने के उपरान्त भी, कुछ स्थानों को छोड़कर शेष सभी ओर इनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। बिलासपुर में अगस्त ८

से १८ तक हमने एक अखिल भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जो बहुत सफल रहा। इसमें लगभग ८० कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहाँ हमने अपने कार्य एवं सिद्धान्तों का सभी पहलुओं से विचार किया।

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी के निधन के उपरान्त राजनीतिक क्षेत्रों में यह धारणा हो गई थी कि अब जनसंघ नहीं चलेगा। पिछले पांच वर्ष हमें इस धारणा से लड़ते बीता है। द्वितीय आम चुनावों के परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनसंघ न केवल जीवित है अपितु वह प्रगति भी कर रहा है। यदि ऐसा न होता तो हम अपने दिवंगत नेता के प्रति सच्चे नहीं रहते। जनसंघ की प्रगति एवं स्थायित्व के विश्वास ने जनता का इसकी ओर देखने का दृष्टिकोण बदला है। अब हमारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। उन्हें निभाने के लिए हमें अपने संघटन को सबल और सक्षम बनाना होगा।

जनसंघ अखिल भारतीय दल के रूप में पुनः मान्यता प्राप्त कर चुका है। हम इसे कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रख सकते। अतः आनेवाले वर्ष में हमारा प्रयास अधिकाधिक विस्तार का हो। जिन प्रदेशों में हमारी शाखायें नहीं हैं वहाँ हमें नई शाखायें खोलनी होंगी तथा वर्तमान प्रदेशों में उन क्षेत्रों में हमें पहुँचना होगा जहाँ अभी तक हम नहीं पहुँचे। राजनीतिक दलों का सार्वदेशिक एवं सार्व-क्षेत्रीय स्वरूप, देश की एकता एवं सुदृढ़ता के लिए भी आवश्यक है। १००० मण्डल समितियों का निश्चित गठन हमारा आगामी वर्ष का लक्ष्य होना चाहिए।

हरिजन और वनवासी भाइयों में हमारे कार्य ने प्रगति अवश्य की है किन्तु हमें उनमें और भी तेजी से बढ़ना होगा। इन बन्धुओं में से समाज के, केवल हरिजनों के नहीं, नेतृत्व का विकास हो सके इसकी ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। सन् १९६१ में यदि विधानान्तर्गत संरक्षण समाप्त हो गया तो यह दायित्व हमारे ऊपर होगा कि आगामी विधान मण्डलों में बिना संरक्षण एवं भेदभाव के सभी वर्गों का अच्छा प्रतिनिधित्व हो सके। इसके लिये आवश्यक है कि हम समाज में ऐसे नेतृत्व को आगे लायें जो सबके हिताहित का विचार कर सम्पूर्ण समाज का नेतृत्व कर सके।

महिलाओं में भी हमें तेजी से विस्तार करना होगा। महाराष्ट्र को छोड़कर, जहाँ कुल सदस्य संख्या की तिहाई महिला सदस्यायें हैं, अन्य प्रदेशों में यदाकदा सम्मेलन छोड़कर उनमें संगठनात्मक दृष्टि से बहुत कम काम हुआ है। हम इस बात का निश्चय करें कि ऐसी कोई समिति नहीं होगी जिसमें महिला सदस्य न हो।

विस्तार के साथ व्यवस्था की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। प्रदेश कार्यालयों को छोड़कर अन्य इकाइयों में या तो हमारे कार्यालय नहीं हैं अथवा सक्रिय नहीं हैं। जहाँ २ हमारी समिति हो वहाँ हमारे कार्यालय अवश्य चाहिए तथा समिति की सभी बैठकों की लिखित कार्यवाही रखनी चाहिए। स्वाध्याय मण्डल एवं सदस्य-सम्मेलनों के महत्व

का पुनः उल्लेख करता हूँ। मैं चाहूँगा कि विभिन्न पदाधिकारियों के चयन करते समय सार्वजनिक कार्य-क्रम के स्थान पर सदस्य सम्मेलनों को प्राथमिकता दी जाय।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत शासन का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब केवल पुलिस और डिप्टी-कमिश्नर ही नहीं, रेल का बाबू, बस कंडक्टर, जीवन-बीमा कार्पोरेशन का अभिकर्ता, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन का क्लर्क, आदि अनेक राज्य के प्रतीक हो गये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों की ओर राजनीतिक दलों को विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि वे ही करदाता और उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण कर सकते हैं। अतः हमारे कार्यकर्ताओं को सभी सरकारी उद्योगों की कार्यप्रणाली, वेतन, दर, निर्धारण नीति आदि विषयों का अध्ययन करना चाहिए तथा स्थान २ पर जनसंगठन के सहारे उनको योग्य दिशा में चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। इनके ऊपर विधानमण्डलों की बहस से भी ज्यादा नियंत्रण जनता का हो सकता है।

मतदाता सूचियाँ सभी चुनावों का आधार हैं। ये कितनी अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण हैं, यह हमने पिछले चुनावों में अनुभव किया। उन्हें ठीक करने का दायित्व सरकार का ही नहीं हमारा भी है। अभी तक राजनीतिक दलों ने इस दायित्व का निर्वाह नहीं के बराबर किया है। प्रतिवर्ष के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन की अवधि में हम इस कार्य को अभियान के रूप में लें। इससे न केवल सूचियाँ ही दुरुस्त होंगी बल्कि हमें मतदाताओं से सम्पर्क स्थापित करने का अवसर भी मिलेगा।

पिछले वर्षों में हमने प्रगति की है यह निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है। किंतु इसे समाधान नहीं। हमारे ऊपर एक महान् दायित्व है। स्वतंत्रता के जागरूक प्रहरी के नाते हमें अपना पथ-दर्शन करना होगा। आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनसंघ ही एकमेव दल है, जिसके ऊपर भारतीय परम्परा एवं जनतन्त्र की रक्षा का भार आ पड़ा है। कांग्रेस एवं अन्य विरोधी दल जिन जीवन मूल्यों को लेकर चले हैं वे अभारतीय हैं। उनकी स्थापना के लिए, जनतंत्र की वे कितनी ही दुहाई क्यों न दें, वे सर्वशक्तिमान केन्द्रित राज्य शासन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। किंतु हमारा ध्येयवाक्य है आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण। विकेन्द्रीकरण विघटन नहीं, अपितु भारत की एकात्मता का अनुभव करते हुए छोटी से छोटी इकाई को विकास की स्वतन्त्रता प्रदान करना है। यही जीवमान जनतन्त्र है। केन्द्रित नियोजन के अंतर्गत प्रभाव-हीन तथा यंत्रवत चुनाव जनतंत्र की आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते।

अपने महान् नेता के जीवन और बलिदान से अनुप्राणित हम अपने ध्येय मार्ग पर अग्रसर हों। भगवान् हमारा सहायक होगा।

"वन्देमातरम्"